



राजस्थान सरकार

# प्रगति प्रतिवेदन 2017-18

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
राजस्थान

## परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया।

इसी दिशा में वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश



संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड स्थापित की गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :-

- 1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।
- 2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

- (क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना ।
  - (ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना ।
  - (ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार / नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना ।
  - (घ) बैंड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकड़ा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना ।
  - (ङ) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना ।
  - (च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना ।
  - (छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना ।
  - (ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ।
  - (झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति ।
  - (ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और
  - (ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना ।
- 3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढीकरण के मामले में समन्वय करना ।
  - 4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :
    - (क) राजस्थान राज्य में ई-गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।
    - (ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना ।
    - (ग) राज्य में ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।
    - (घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।
    - (ङ) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई-कामर्स को प्रोत्साहन देना ।

- (च) उपध्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना ।
  - (छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना ।
  - (ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन ।
  - (झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और
  - (ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।
- 5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना
- (क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र में विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना ।
  - (ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना ।
  - (ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना ।
  - (घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और
  - (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना ।
- 6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापना
- (क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।
  - (ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैंड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सरल बनाना ।
  - (ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और
  - (घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और सरकार /उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना ।

- 7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
  - 8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।
  - 9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी.इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काउन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।
  - 10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृत्तियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।
  - 11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आबंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले।
  - 12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।
  - 13 इस विभाग के अन्तर्गत दो एजेन्सियां कार्यरत हैं:—
- **राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड :-** वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज — राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) स्थापित की गई।
  - **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड :-** शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाइड को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

**प्रशासनिक तंत्र**

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनर्गठन किए जाने के पश्चात राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: —

**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Overall Cadre strength)**

31 December 2017

| क्र.सं. | पद का नाम                           | स्वीकृत पद  | भरे हुए पद ( कार्यरत ) | रिक्त पद    |
|---------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 1.      | तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव | 2           | 2                      | 0           |
| 2.      | अतिरिक्त निदेशक                     | 6           | 5                      | 1           |
| 3.      | विशेषाधिकारी (टेलीकॉम)              | 1           | 1                      | 0           |
| 4.      | वित्तीय सलाहकार                     | 1           | 1                      | 0           |
| 5.      | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)    | 24          | 20                     | 4           |
| 6.      | एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)  | 159         | 104                    | 55          |
| 7.      | लेखाधिकारी                          | 1           | 0                      | 1           |
| 8.      | प्रोग्रामर                          | 550         | 373                    | 177         |
| 9.      | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I           | 3           | 2                      | 1           |
| 10.     | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- II          | 35          | 21                     | 14          |
| 11.     | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी          | 1           | 1                      | 0           |
| 12.     | कनिष्ठ लेखाकार                      | 4           | 2                      | 2           |
| 13.     | निजी सचिव                           | 1           | 1                      | 0           |
| 14.     | वरिष्ठ निजी सहायक                   | 1           | 0                      | 1           |
| 15.     | निजी सहायक                          | 1           | 0                      | 1           |
| 16.     | सहायक प्रोग्रामर                    | 301         | 287 <sup>s</sup>       | 14          |
| 17.     | सहायक प्रशासनिक अधिकारी             | 4           | 3                      | 1           |
| 18.     | कनिष्ठ विधि अधिकारी                 | 1           | 1                      | 0           |
| 19.     | वरिष्ठ सहायक                        | 5           | 5                      | 0           |
| 20.     | सूचना सहायक                         | 7483        | 4347                   | 3136        |
| 21.     | कनिष्ठ सहायक                        | 8           | 6                      | 2           |
| 22.     | वाहन चालक                           | 2           | 1                      | 1           |
| 23.     | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी              | 14          | 9                      | 5           |
|         | <b>कुल</b>                          | <b>8608</b> | <b>5192</b>            | <b>3416</b> |

\* विभागीय आदेश क्रमांक एफ8(176)सूप्रौ/जन/12/1/68576/2017 दिनांक 08.05.2017 के द्वारा एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप-निदेशक) के 2 पद (आयुर्वेद विभाग एवं नगर योजना विभाग में) तथा सूचना सहायक के 66 पद आस्थगित (kept in abeyance) रखे गये हैं।

\$ कार्यालय आदेश क्रमांक 76733 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को अस्थाई रूप से पदस्थापन कार्यालय में सूचना सहायक के पद को सहायक प्रोग्रामर के पद में क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण हेतु पदस्थापन आदेश जारी किये गये। अतः समस्त सूचना सहायको को सहायक प्रोग्रामर के पदों पर कार्यरत मानते हुए गणना की गई है।

## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ( मुख्यालय ),स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

31 December 2017

| क्र.सं. | पद का नाम                           | स्वीकृत पद | भरे हुए पद ( कार्यरत ) | रिक्त पद  |
|---------|-------------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| 1.      | आयुक्त, आई.ए.एस                     | 1          | 1                      | 0         |
| 2.      | तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव | 1          | 1                      | 0         |
| 3.      | अतिरिक्त निदेशक                     | 3          | 2                      | 1         |
| 4.      | विशेषाधिकारी (टेलीकॉम)              | 1          | 1                      | 0         |
| 5.      | वित्तीय सलाहकार                     | 1          | 1                      | 0         |
| 6.      | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)    | 8          | 8*                     | 0         |
| 7.      | एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)  | 22         | 22**                   | 0         |
| 8.      | लेखाधिकारी                          | 1          | 0                      | 1         |
| 9.      | प्रोग्रामर                          | 32         | 32                     | 0         |
| 10.     | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I           | 2          | 1                      | 1         |
| 11.     | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- II          | 2          | 2                      | 0         |
| 12.     | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी          | 1          | 1                      | 0         |
| 13.     | कनिष्ठ लेखाकार                      | 4          | 2                      | 2         |
| 14.     | निजी सचिव                           | 1          | 1                      | 0         |
| 15.     | वरिष्ठ निजी सहायक                   | 1          | 0                      | 1         |
| 16.     | निजी सहायक                          | 1          | 0                      | 1         |
| 17.     | सहायक प्रोग्रामर                    | 20         | 17\$                   | 3         |
| 18.     | सहायक प्रशासनिक अधिकारी             | 4          | 3                      | 1         |
| 19.     | कनिष्ठ विधि अधिकारी                 | 1          | 1                      | 0         |
| 20.     | वरिष्ठ सहायक                        | 5          | 5                      | 0         |
| 21.     | सूचना सहायक                         | 104        | 104***                 | 0         |
| 22.     | कनिष्ठ सहायक                        | 7          | 6                      | 1         |
| 23.     | वाहन चालक                           | 2          | 1                      | 1         |
| 24.     | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी              | 13         | 9                      | 4         |
|         | <b>कुल</b>                          | <b>238</b> | <b>221</b>             | <b>17</b> |

## नोट:-

- \* श्री आशुतोष गौतम, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर जो दिनांक 28.03.2016 से निलम्बित चल रहे हैं, निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रखा गया है।
- \*\* श्री प्रवीण कुमार एवं वासु देव एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) क्रमशः दिनांक 02.03.2017 एवं 10.03.2017 से निलम्बित चल रहे हैं। निलम्बनकाल के दौरान इनका मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर रखा गया है।
- \*\*\* श्री हेमन्त कुमार सत्यावना, श्री पंकज कुमार, श्री नरेन्द्र मीना एवं सोहनलाल पंवार सूचना सहायक क्रमशः दिनांक 19.09.2013, 01.02.2017, 02.03.2017 एवं 31.07.2017 से निलम्बित रखा गया है। निलम्बनकाल के दौरान इनका मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर रखा गया है।
- \$ सहायक प्रोग्रामर के पद के विरुद्ध 4 सूचना सहायक पदस्थापित है।

## यू.आई.डी. प्रोजेक्ट (U.I.D. Head)

31 December 2017

| क्र.सं. | पद का नाम                                   | स्वीकृत पद | भरे हुए पद ( कार्यरत ) | रिक्त पद | विशेष विवरण                                                          |
|---------|---------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.      | ओ.एस.डी.                                    | 1          | 1                      | —        |                                                                      |
| 2.      | सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)            | 1          | 1                      | —        |                                                                      |
| 3.      | सीनियर प्रोजेक्ट आफिसर<br>(अतिरिक्त निदेशक) | 1          | 1                      | —        |                                                                      |
| 4.      | सीनियर प्रोजेक्ट आफिसर                      | 1          | —                      | 1        |                                                                      |
| 5.      | प्रोजेक्ट आफिसर                             | 2          | 1                      | 1        |                                                                      |
| 6.      | एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)          | 1          | 1                      | —        |                                                                      |
| 7.      | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।                    | 1          | 1                      | —        |                                                                      |
| 8.      | कनिष्ठ सहायक                                | 1          | —                      | 1        |                                                                      |
| 9.      | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी                      | 3          | —                      | 3        | 2 चतुर्थ<br>श्रेणीकर्मचारी<br>(संविदा पर<br>एजेन्सी के<br>माध्यम से) |
|         | <b>कुल</b>                                  | <b>12</b>  | <b>6</b>               | <b>6</b> |                                                                      |

## कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर ( उप निदेशक ), सू.प्रौ. एवं संचार विभाग

( माह: दिसम्बर, 2017 )

| क्र.सं. | पद का नाम                          | स्वीकृत पद | भरे हुए पद ( कार्यरत ) |
|---------|------------------------------------|------------|------------------------|
| 1.      | एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 33         | 29                     |
| 2.      | प्रोग्रामर                         | 34         | 30*                    |
| 3.      | सहायक प्रोग्रामर                   | 32         | 30**                   |
| 4.      | लेखाकार                            | 33         | 19                     |
| 5.      | सूचना सहायक                        | 285        | 200                    |

\* प्रोग्रामर के पदों के विरुद्ध 2 सूचना सहायक पदस्थापित हैं।

\*\* सहायक प्रोग्रामर के पद के विरुद्ध 15 सूचना सहायक पदस्थापित हैं।

## कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर ( उप निदेशक ), सू.प्रौ. एवं संचार विभाग

पंचायत समिति ( माह: दिसम्बर, 2017 )

| क्र.सं. | पद का नाम                                | स्वीकृत पद | भरे हुए पद ( कार्यरत ) |
|---------|------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1.      | प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)         | 248        | 190*                   |
| 2.      | सूचना सहायक (पंचायत समिति मुख्यालय हेतु) | 1770       | 1266**                 |

\* ब्लॉक मुख्यालय पर प्रोग्रामर के 248 पदों के विरुद्ध 123 प्रोग्रामर, 7 सहायक प्रोग्रामर तथा 60 सूचना सहायक पदस्थापित हैं।

\*\* कार्यालय आदेश क्रमांक 76733 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को अस्थाई रूप से पदस्थापन कार्यालय में सूचना सहायक के पद को सहायक प्रोग्रामर के पद में कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण हेतु पदस्थापन आदेश जारी किये गये। अतः समस्त सूचना सहायको को सहायक प्रोग्रामर के पदों पर कार्यरत मानते हुए गणना की गई है।

## नीतिगत पहल

- **UID ( आधार )** – भारत सरकार की 'आधार' परियोजना के अंतर्गत समस्त नागरिकों को एक बारह अंक का नम्बर दिया जायेगा जो कि उनकी पहचान संख्या कहलायेगा। इसका उपयोग कर देश के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त लाभ एवं परिलाभ तथा सेवायें बेहतर उपलब्ध करायी जा सकेंगी। आधार परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज्य पंजीयक है। राज्य के 6.70 करोड़ नागरिकों को अभी तक नामांकित किया जा चुका है।

## ■ राजस्थान स्टार्टअप

राजस्थान ने विगत 6 माह में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने में देश में अग्रणी कार्य किये हैं। आइ-स्टार्ट, चैलेंज फॉर चेंज तथा राजस्थान स्टैक जैसी परियोजनाओं के अतिरिक्त Start-ups को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, सरकार की और से निःशुल्क plug and play सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में incubation centre, "Istart Nest", क्रियाशील किया गया है।



## सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ

- **राजस्थान सम्पर्क** सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत मंच है। इस पोर्टल के माध्यम से जन सुनवाई, मुख्यमंत्री यात्रा और अन्य यथा सम्भव जन सम्पर्क माध्यमों का समावेश कर दिया गया है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल [www.sampark.rajasthan.gov.in](http://www.sampark.rajasthan.gov.in) के माध्यम से क्रियान्वित कर दिया गया है।

CM हेल्पलाइन हेतु नया टोल फ्री नम्बर (181) शुरू किया गया है।

Grievances Registered: 18.11 लाख

Grievances Disposed: 16.32 लाख



- **एकीकृत कॉल सेंटर (Citizen Contact Centre)** – एकीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी कर सकती है तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जनसमस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सेंटर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेंटर इसी एकीकृत केन्द्र से जोड़ दिए गये हैं। इसके

अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास, परिवहन, श्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान लोक सेवा आयोग, खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, रोजगार सेवा और अल्पसंख्यक मामलात विभाग भी CCC से जोड़ दिये गये हैं। प्रतिदिन लगभग 8000+ कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क इत्यादि के संबंध में ग्राम पंचायतवार Reality Check Campaign भी किया जाता है।

- जन समस्या निवारण की सुविधा को **Rajasthan V.C.** के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक बढ़ाने के क्रम में अटल सेवा केन्द्रों पर राजस्थान सम्पर्क आई.टी.केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये हैं।
- **राजनेट:-** राज्य सचिवालय में स्थापित सैकलेन परियोजना का विस्तार कर 'राजनेट' के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में पंचायत स्तर तक नेटवर्क स्थापित कर सरकारी भवनों को जोड़ा जा रहा है। इसके अर्न्तगत राज्य की 10000+ पंचायतों पर यह सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही समस्त 33 जिला मुख्यालयों एवं चयनित ब्लॉक्स पर IP फोन स्थापित कर दिये गये हैं।
- सचिवालय स्थित उच्च अधिकारियों तथा सचिवालय में दिन प्रतिदिन सरकारी कार्य हेतु आने वाले आगंतुकों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये **वाई-फाई हॉटस्पॉट** की सुविधा सचिवालय, आई.टी भवन के सभी ब्लॉक, सभी जिला कलेक्टर, 6 सरकारी कॉलेज, आमेर महल, जवाहर कला केन्द्र, 7 Divisions, विडियो वॉल एवं सभी सरकारी कार्यालयों पर स्थापित कर दी गयी है।
- जिला मुख्यालयों के मध्य **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अब पंचायत स्तर** तक बढ़ा दी गयी है। 9000 स्थानों पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा क्रियाशील कर दी गयी है।
- सरकारी विभागों के मध्य सूचना तंत्र स्थापित करने के अंतर्गत राज्य के लगभग 200+ (58 पुलिस मुख्यालय) भवन सैकलेन के माध्यम से आपस में एक दूसरे से इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हुये जुड़े हुये हैं। कुल Nodes 5500+ है, जिनमें 12 Nodes BSNL से एवं 84 Nodes Vodafone से connected है।
- राज्य के लिए एक ही **GIS platform** तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये **3D Modelling** का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में GIS interface का कार्य किया जा चुका है।



- **ई-मित्र:-** राज्य में लगभग 48000+ ई-मित्र केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये हैं। दिसम्बर माह तक लगभग 66.48 लाख ट्रांजेक्शन हुए हैं तथा लगभग 712 करोड़ रुपये राजस्व एकत्रित हुआ है। e-Mitra कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र की लगभग 350 सेवायें तथा सूचनायें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही है। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली, पानी एवं मोबाइल के बिल जमा कराने की सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गयी है। आधार, भामाशाह, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं समस्त सत्यापन कार्य हेतु आवेदन किया जाता है।



- **राजस्थान पेमेंट गेटवे ( ई-मित्र ):** राजस्थान पेमेंट गेटवे बैंक, मोबाइल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, एवं भारत QR को आसान मोबाइल एवं ई-पेमेंट करने के लिए जोड़ता है। RPP राज्य सरकार के विभागों और संगठनों के लिए Two way इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की सुविधा प्रदान करेगा। निवासी संबंधित विभागों को कर, उपयोगिता बिल, शुल्क आदि का भुगतान एक ही स्थान से पूर्ण सकते हैं। इसी प्रकार, विभाग लाभार्थियों और अन्य को एक निर्बाध और एकीकृत तरीके से लाभ राशी हस्तांतरित कर सकते हैं।

- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र -** सम्पूर्ण राज्य में घर बैठे ही इन्टरनेट के माध्यम से/एकल खिड़की/कियोस्क के माध्यम से वैधिक मान्यता प्राप्त डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने की प्रणाली की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः मूल निवास, जाति, आय तथा हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रतिमाह लगभग 1.59 लाख डिजिटल प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। अन्य सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र, अनुज्ञप्ति इत्यादि भी डिजिटली हस्ताक्षरित रूप से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

- **स्टेट पोर्टल:-** समस्त नागरिकों, सरकारी प्रयोगकर्ताओं, व्यापारियों एवं विदेशी लोगों के लिये सभी सरकारी सेवाओं/सूचनाओं का एकमात्र स्रोत है। इसके साथ सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल जोड़े जा रहे हैं एवं इस पोर्टल विभिन्न योजनाओं के तहत लेन-देन का ब्यौरा भी उपलब्ध रहता है।



- **एकीकृत सरकारी पोर्टल:-** वेबसाइट / पोर्टल / वेब एप्लीकेशन की आसान उपलब्धता पहुँच एवं उत्तरदायी बनाने के लिये समस्त सरकारी पोर्टल का मानकीकरण किया जा रहा है। सभी सरकारी पोर्टल सभी उपकरणों पर क्रियाशील होंगे एवं सभी पोर्टल के लिये मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध होगी। इसके अन्तर्गत समस्त जिलों की वेबसाइट, डीआईपीआर, ऊर्जा विभाग का पोर्टल, उद्योग विभाग का पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, अरबन पोर्टल (15 यूआईटी, 7 नगर निगम, 34 नगर परिषद, 147 नगर पालिका सहित), परिवहन पोर्टल, कानून एवं न्याय पोर्टल, रोड पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, भू राजस्व पोर्टल, पीएचडी जल पोर्टल, आईटी स्टार्टअप वेबसाइट, विशेष व्यक्ति आयुक्तालय, आयोजना पोर्टल, आर.आई.सी., आर.एस.सी.डब्ल्यू., एस.एफ.सी., आर.एसएच.आर.सी., राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं अल्पसंख्यक का निर्माण किया गया है।



- **'ई-संचार एवं आई- फैक्ट' - ई- संचार** एप्लीकेशन के अन्तर्गत किसी भी विभाग की योजना से संबंधित नोटिफिकेशन आवेदनकर्ता / लाभार्थी को एवं सरकारीकर्म को SMS/voice message के माध्यम से भिजवाये जा सकते हैं। I-Fact एप्लीकेशन का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत reality check के लिये किया जा रहा है।

| ID               | Department | Requested Amount | Status | Total Funding | Amount Paid | Query No. |
|------------------|------------|------------------|--------|---------------|-------------|-----------|
| 1111111111111111 | ...        | ...              | ...    | ...           | ...         | ...       |
| ...              | ...        | ...              | ...    | ...           | ...         | ...       |
| ...              | ...        | ...              | ...    | ...           | ...         | ...       |

- **राज्य मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हब:-** यह हब विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत हर तरह के डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते हैं, सभी उपलब्ध है।

## मानव संसाधन विकास

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण-** मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अतिआवश्यक है। विभाग द्वारा 1 अप्रैल से आदिनांक तक प्रदेश भर में लगभग 20000 सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है।

- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी **इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय** द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाइड को मिटाने हेतु स्थापित **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन** का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है।

### विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

- राज्य के लिए एक ही GIS platform तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये 3D Modelling का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में GIS interface का कार्य किया जा चुका है। खनन विभाग के लिए GIS interface प्रक्रियाधीन है।



- ई मित्र प्लस:** यह एक अद्भुत पहल है जिसने प्रदेश की जनता और सरकार को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा है। यह कियोस्क विडियो कॉन्फेंसिंग की सुविधा देते हैं जो राज्य में 40000 से अधिक स्थानों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। इन पर नकद डेबिट क्रेडिट कार्ड और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे उपयोगिता बिल आदि का भुगतान भी कर सकते हैं। यह स्वचालित कियोस्क सरकारी स्टेशनरी पर सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र डोमिसाइल, आदि प्रिंट करता है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के साथ लाइव सेशन से जुड़ कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।



- हिन्दी e-mail :-** दिसम्बर 2017 में डिजीफेस्ट, कोटा में राजस्थान सरकार द्वारा जनता के लिए हिंदी में ई-मेल आई.डी. की **राजडिजिटलस्थान : अंग्रेजी की बाध्यता से बाहर निकला ई-मेल, अब ई-मेल आईडी@राजस्थान.भारत**

सुविधा प्रारंभ की गयी जिससे जनता के लिए अंग्रेजी भाषा ई-मेल इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने में बाधा ना बने । इसके अंतर्गत सबसे पहला हिन्दी e-mail माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के लिए वसुंधरा@राजस्थान.भारत (देवनागरी में) बनाया गया था ।

यह सेवा ई-शासन के प्रति लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेगी और अधिकतम स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है । राजस्थान सरकार अपने निवासियों को हिंदी में ई-मेल आई.डी. की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है ।

#### ■ **Raj BIO SCOPE**

राज बायोस्कोप राज्य का वीडियो sharing पोर्टल है जो इंटरनेट पर वीडियो साझा करने का माध्यम है । राज्य के निवासी पोर्टल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं । सामग्री की उपयोगिता के आधार पर वीडियो में अपना फीडबैक, पसंद, टिप्पणी और रेटिंग प्रदान की जा सकती है पोर्टल सरकार के लिए उपयोगी चैनल के रूप में कार्य करता है, जो नागरिक और सरकारी विभागों को सरकार के बारे में जानकारी साझा करने का अधिकार प्रदान करता है ।



#### ■ **एकीकृत परीक्षा प्रणाली पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal):**

एकीकृत परीक्षा प्रणाली पोर्टल में राजस्थान, भारत या विदेश में सभी उम्मीदवार ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं ।



■ **सिंगल साईन ऑन (SSO) :-** सभी विभागों की ई- सेवाओं हेतु सिंगल साईन ऑन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । इसके अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों, ई-मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों के लिये यह सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है । इस सुविधा के माध्यम से Single window की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत लगभग 70 लाख SSO ID उपलब्ध करवाई गई है । इसकी सहायता से विभिन्न विभागों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक यूजर नेम एवं पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जो की सिंगल साईन ऑन (स्टेट पोर्टल [rajasthan.gov.in](http://rajasthan.gov.in)) पर उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप अलग-अलग यूजर नेम



और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी।

- **राज ई-वॉल्ट:-** पेपरलेस सुविधा प्रदान करने के लिये प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने के लिये e-vault की सुविधा दी जा रही है। e-vault में अपने कागज/ दस्तावेज/ प्रमाण पत्र scan कर सुरक्षित रख किसी सरकारी सेवा के लिए आवेदन

या ऑनलाइन प्रमाण पत्र भरते समय भामाशाह/ आधार अंकित कर ये दस्तावेज सीधे उपयोग में लिए जा सकते हैं। इन Raj e-vault की संग्रहण क्षमता कम से कम 1 GB है। परियोजना का भामाशाह, पहचान एवं ई-मित्र परियोजना के साथ एकीकरण कर लगभग 5 करोड़+ e-vault क्रियाशील है।



- **राज ई-साईन:-** ऑनलाइन सेवा के उपयोग के समय e-sign द्वारा भामाशाह/आधार अंकित कर e-vault में सेव किए दस्तावेज हस्ताक्षर करने की सुविधा उपलब्ध है।



- **मोबाईल एप्लीकेशन डवलपमेंट सेन्टर:-** मोबाईल एप्लीकेशन

के विकास, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत आदिनांक तक कुल 22 एप्लीकेशन विकसित की गयी है, जो निम्नलिखित हैं: SIPF, eMitra, App Status Rajasthan, ePDS, Bhamashah, RajApp Center, Raj Mandi, Some Facts About Rajasthan, LITES, eMitra MicroATM, Raj eSign (QR Code), RajSampark, Raj Weaver, Rajnet, MJSA, Raj-eGyan, DOP, Revenue Court App (RCMS), Case Darpan, RajArtisan, CM App, Senior Citizen Security App and District KPIs. यह कार्य निरंतर प्रकृति का है एवं आम जन की सुविधा के लिये लगातार नई MobileApps तैयार की जा रही हैं।



- **डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर:-** बिग डाटा के अन्तर्गत विभाग अपने अव्यवस्थित डेटा(दृश्य, डाक, प्रतिबिम्ब) को एकत्र कर रख सकता है। एवं इसी डाटा को विश्लेषण एवं ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोग कर सकता है।



सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिये अत्याधुनिक Big Data तकनीक से लैस Analytic System का विकास किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के Dash Board तैयार किये जा चुके हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में Fraud Detection Framework का निर्माण कर दिया गया है। Transport, Excise, Registration & Stamps तथा Mining Departments के लिये विभागीय dashboards का First version आरम्भ कर दिया गया है। RSDC में BigData hardware cluster install कर दिया गया है। Use case लागू कर दिये गये हैं एवं परियोजना Go-Live कर दी गई है।

- राज्य में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर IT enabled एकीकृत Command and Control Centre स्थापित कर दिये गये हैं एवं समस्त Command Control Centre क्रियाशील हैं।

### इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न सम्मिलित हैं:

1. Video Surveillance System (विडियो निरीक्षण प्रणाली)
2. Dial 100 Control System (डायल 100 नियंत्रण प्रणाली)
3. Forensic Investigation System (फोरेंसिक जांच प्रणाली)
4. Intelligent Traffic Management System (कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली)
5. Vehicle Tracking System (वाहन ट्रेकिंग प्रणाली)
6. Geographical Information System (भौगोलिक सूचना प्रणाली)

इन सभी प्रणालियों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु सभी डिविजनों पर एक लघु डाटा सेन्टर का निर्माण भी इस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।

### वर्ष 2016-17 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2017 तक व्यय

| S.No. | Allotment     |                 |                |                 | Exp. Upto<br>19.12.2016 |
|-------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|       | Project       | State Share     | Central Share  | Total           |                         |
| 1     | IT& DoIT      | 69106.61        | 805.02         | 69911.63        | 46476.93                |
| 2     | UID Under TFC | -               | -              | -               | -                       |
| 3     | NEGP          | -               | 2495.01        | 2495.01         | -                       |
|       | <b>Total</b>  | <b>69106.61</b> | <b>3300.03</b> | <b>72406.64</b> | <b>46476.73</b>         |

## पुरस्कार एवं प्रशंसा:

वर्ष 2016-17 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को निम्न पुरस्कारों से नवाजा गया है:-

### 1. Skoch Smart Governance Awards 2017

- **Hon'ble Chief Minister, Rajasthan: Best Chief Minister of the year (Raj-State), Skoch Smart e-Governance Award 2017**
- **Gold Skoch Smart e-Governance Award 2017**
  - a. Rajasthan Accountability Assurance System
  - b. CM Dashboard, e-Governance
  - c. Rajasthan Sampark, e-Governance
  - d. Raj eVault
  - e. Single Window Clearance
  - f. Mr. Hariom Malhotra, Jhalawar
- **Silver- Skoch Smart e-Governance Award 2017**
  - a. Mahila Suraksha
  - b. Raj Sewa Dwar
  - c. Bhamashah Swasthya Bima Yojana
  - d. Rajasthan Skill & Livelihoods, e-Governance
- **Platinum- Skoch Smart e-Governance Award 2017**
  - a. E-Mitra
  - b. Raj Dhara
  - c. Abhay Command Centre
  - d. Community Engagement for Saving Daughters in Rajasthan
  - e. e-Upkaran (A Comprehensive Equipment Management and Maintenance system)
  - f. Mobile application 'm-SNA' (Saghan Nirakshan Abhiyaan – Intensive Monitoring Campaign) for monitoring Primary Healthcare delivery in Rajasthan
  - g. Integrated Ambulance Project- Jeevan Vahini
  - h. e-Saadhan- Contraceptive Integrated Logistics Management Information System
- **Digital India Summit 2017**
  - a. Hon'ble Chief Minister, Rajasthan (Digital Leader of the Year)
  - b. Bhamashah Yojana
  - c. Abhay Command Centre
  - d. Bhamashah Swasthya Bima Yojana
- **CSI Nihilent Awards**
  - a. E-Ratna Award to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
  - b. Best e-Governance – State Category Award



## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011

<http://www.rajasthan.gov.in>,

<http://www.doitc.rajasthan.gov.in>